



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009 दूरभाष क्रमांक : (07752 - 240712)
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

www.pssou.ac.in E-mail-registrar@pssou.ac.in

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अध्ययन केन्द्र संबंधी छूट

विश्वविद्यालय की माननीय कार्यपरिषद द्वारा ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में अध्ययन केन्द्र संचालित करने के लिए छात्रों की संख्या में छूट प्रदान की है, संबंधित निर्णय संलग्न है।

क्राइटेरिया प्रभारी

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Dr. Sanjiv Kumar Lavania
Incharge NAAC Criteria-V
PSSOU, CG Bilaspur



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र. 239 / का.प. / बैठक / 19.

रायपुर, दिनांक 23 / 11 / 2019

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की 87 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 23/11/2019, दिन शनिवार, पूर्वान्ह 10:30 बजे विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव - सदस्य
आचार्य
मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)
3. डॉ. अनिता सिंह - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
4. डॉ. इंदु अनंत - सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. श्री संतराम नेताम - सदस्य
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
2. उपाध्यक्ष - सदस्य
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
3. श्री एस.एल.नायक - सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Dr. Sanjiv Kumar Lavania
Incharge NAAC Criteria-V
PSSOU, CG Bilaspur

राजभवन के पत्र के तारतम्य में (1) UGC के नियम (2) राज्य शासन द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन (3) राज्य शासन द्वारा गठित जांच समिति द्वारा पूर्व तिथि पर जमा किया गया प्रतिवेदन (4) कारण वताओं नोटिस पर शोधार्थियों द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर (5) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (6) महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया विधिक परामर्श तथा (7) विश्वविद्यालय द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री मिन्हाजुद्दीन की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :

(क) 11.7.2009 के पूर्व पंजीकृत शोधार्थियों के मामले में उनके शोध की प्रक्रिया का नियमन इस विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र. 2 के नियमों के अनुसार मान्य होगा।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तथा महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के विधिक परामर्श के तारतम्य में विश्वविद्यालय द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया गया तथा उपरोक्त निर्णय से माननीय कुलाधिपति महोदया को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। माननीय कुलाधिपति महोदया को सूचित करने के बाद तीन सप्ताह के भीतर राजभवन से कोई अन्यथा निर्देश प्राप्त न होने पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।


प्रस्ताव क्र.5 विश्वविद्यालय के मान्यता समिति द्वारा अध्ययन केन्द्र संचालन/स्थापना हेतु न्यूनतम छात्र संख्या का निर्धारण किये जाने पर विचार।

निर्णय - प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए शहरी क्षेत्र हेतु संख्या 90-100, कस्बा हेतु 75-85 तथा ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र हेतु 65-75 की न्यूनतम संख्या मान्य किया गया।


प्रस्ताव क्र.6 अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत रहे 20 मानसेवी समन्वय सहायक एवं सहायकों से पुनः कार्य करने की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार।

निर्णय - प्रस्ताव क्रमांक 05 पर हुए निर्णय के प्रकाश में आवेदनों पर विचार कर कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

VERIFIED



REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


Dr. Sanjiv Kumar Lavania
Incharge NAAC Criteria-V,
PSSOU, CG Bilaspur

प्रस्ताव क्रमांक 05 -

विश्वविद्यालय के मान्यता समिति द्वारा अध्ययन केन्द्र संचालन/स्थापना हेतु न्यूनतम छात्र संख्या का निर्धारण किये जानें पर विचार।

टीप :-

विश्वविद्यालय के मान्यता समिति द्वारा अध्ययन केन्द्र संचालन/स्थापना हेतु न्यूनतम छात्र संख्या का निर्धारण किया गया है। जो निम्नानुसार है

1. शहरी क्षेत्र - 50
2. कस्बा क्षेत्र - 35
3. ग्रामीण / आदिवासी क्षेत्र - 30

- जहां विश्वविद्यालय के मानसेवी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उन अध्ययन केन्द्रों हेतु न्यूनतम छात्र संख्या का निर्धारण क्षेत्रवार करने हेतु प्रस्तुत है।

अ. के. स्थापना / संचालन हेतु निर्धारित छात्र संख्या	जहां विश्वविद्यालय की ओर से समन्वय सहायक / सहायक कार्यरत नहीं है।	जहां विश्वविद्यालय की ओर से समन्वय सहायक / सहायक कार्यरत होंगे : (प्रस्तावित)
शहरी क्षेत्र	50	शहरी क्षेत्र - 100
कस्बा क्षेत्र	35	कस्बा क्षेत्र - 85
ग्रामीण / आदिवासी क्षेत्र	30	ग्रामीण / आदिवासी क्षेत्र - 75

कार्यपरिषद् के समक्ष प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

VERIFIED



REGISTRAR

Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


Dr. Sanjiv Kuman Lavania
Incharge NAAC Criteria-V
PSSOU, CG Bilaspur